कार्यालय– सिविल सर्जन सदर अस्पताल, साहेबगंज

निविदा सूचना– 01/2018–19

स्वास्थ्य विभाग, साहेबगंज के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों हेतु दवा, ससायन एवं विभिन्न सामग्री इत्यादि के क्रय के लिये दवा, रसायन एवं सामग्री के निर्माताओ/अधिकृत बिक्रेताओं से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुहरंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सिविल सर्जन कार्यालय में रखे निविदा पेटी में दिनाक 21.08.2018 के 3:00 बजे अपाराहन तक निविदा डाले जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा, दिनांक.21.08.18 के 4:00 बजे अपराहन में सिविल सर्जन साहेबगंज के कार्यालय कक्ष में क्रयसमिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा दो भागो (A –तकनीकि एवं B –वित्तीय वीड) अलग अलग शील बंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। तकनीकि वीड की सर्ते पूरा होने पर ही वित्तीय वीड खोला जायेगा। निविदा हेतु दवा, रसायण एवं सामग्री इत्यादि की सूची अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट्ट से प्राप्त किया जा सकता हैं। अथवा वेवसाईट www.sahibganj.nic.in के notice/Tender Section में देखा जा सकता हैं।

तकनीकि (A):–

1. निविदा से संबंधित अभिलेख का विवरणी पेज नं0 अंकित कर सूची संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अद्यतन आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यकर का स्वच्छता प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ अद्यतन बिक्रीकर निबंधन–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 1,00,000/– (एक लाख) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन साहेबगंज के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का वार्षिक Turn-over 1,00,000.00.00 (एक करोड़) रू0 प्रति वर्ष (पिछले तीन वर्षों का) से कम नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित अद्यतन प्रमाण–पत्र(Audited Balance Sheet) संनग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माता कंपनी का कैटलॉग, पूरा पता, Email ID एवं Product Details संनग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निर्माता कंपनी का Up to Date WHO-GMP (Good Manufactruing Practice) Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निर्माता कंपनी का Up to Date Non-conviction Certificate (Issued by the Concerned Licensing Authority) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निर्माता कंपनी का Drug Manifacturing Licence प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. निर्माता कंपनी का स्वयं तथा प्राधिकृत विक्रेताओं को प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के द्वारा निर्गत शपथ–पत्र मूल प्रति संलग्न करना होगा कि स्वय एवं उनकी कंपनी रूग्णावस्था अथवा काली सूची में दर्ज नहीं हैं, एवं हर प्रकार के आरोपों तथा सभी सरकारी जाँच से मुक्त हैं, उनके उपर किसी प्रकार का इससे संबंधित मुकदमा लंबित नहीं हैं।
11. निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 तक का बैलेन्स सीट (चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
12. निविदादाता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 तक का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता स्वयं कंपनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता हो सकते हैं परन्तु अधिकृत संबंधी प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता का झारखण्ड राज्य में उनका प्रतिष्ठान है, एतत् संबंधी प्रमाण स्वरूप ड्रग लाईसेंस की Upto Date Copy संनग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय वीड (B)

1. दवा रसायन एवं सामग्रीयों का अंकित मुल सभी कर (GST) सहित कम्प्यूटर द्वारा टंकित होना अनिवार्य हैं।तथा इस बात का उल्लेख करना होगा की किस दवा में कितना प्रतिशत GST है, दर में किसी प्रकार का ओवर राईटिंग को उस दर के लिए अमान्य माना जाएगा।

Condition:- निविदा स्वीकृत होने पर निम्ननिखित शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा :–

1. आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर दवा, रसायन एवं सामग्री की आपूर्ति साहेबगंज जिलान्तर्गत विभिन्न स्वा0 संस्थानों के भंडारगृह तक करना होगा इसके लिए अलग से कोई मार्गव्यय देय नहीं होगा।
2. निविदा में अंकित औषधी रसायन एवं सामग्री के सामने निर्माता कंपनी का नाम अवश्य अंकित होना चाहिए।
3. दवा आपूर्ति करते समय विपत्र के साथ उक्त दवा का Analytical भी जमा करना होगा, अन्यथा भुगतान नहीं की जायेगी।
4. आपूर्ति की जाने वाली दवा, रसायन एवं सामग्री की आपूर्ति तिथि एवं अवसान तिथि (Expiry Date) का 18 माह से कम नहीं होना चाहिए।
5. आपूर्ति की गई दवा/रसायन/सामग्री इत्यादी के भाइल, एम्पल, पैकेट पर Govt Supply Not For Sale लिखा रहना चाहिए।
6. इस निविदा का दर अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा।
7. वैधानिक मामलो का निष्पादन हेतू न्यायिक क्षेत्र साहेबगंज न्यायालय होगा।

नोटः– निविदा के शर्तो में परिवर्तन करने या बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

20.07.18

सिविल सर्जन
सदर अस्पताल साहेबगंज।

Arun Kumar Singh
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबगंज।

ज्ञापांक 113 / दिनांक 30.07.2018

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उपायुक्त महोदय, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उपनिदेशक स्पा0 सेवाएँ स0 प0 प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अभियान निदेशक रा0 ग्रा0 स्वा0 मिशन, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20.07.18
सिविल सर्जन
सदर अस्पताल साहेबगंज।